

गौ रक्षा एवं माँब लचिगि

प्रलिमिंस के लयि:

वे राज्य जनिहोंने ने माँब लचिगि के खिलाफ कानून पारति कयि हैं, हरयािणा माँब लचिगि, माँब लचिगि के खिलाफ प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

माँब लचिगि के कारण और इसे दूर करने हेतु कयि गए उपाय ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में हरयािणा में गौ रक्षकों द्वारा गायों का अवैध परिवहन, तस्करी और वध के संदेह में दो लोगों की हत्या कर जलाए जाने की घटना **माँब लचिगि के मुद्दे** को उजागर करती है ।

माँब लचिगि:

- **माँब लचिगि** लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षति हसिा को संदर्भति करती है जसिमें मानव शरीर या संपत्तिके खिलाफ अपराध शामिल हैं, फरि वह चाहे सार्वजनकि हो या नजिी ।
- भीड़ पूर्वग्रही धारणा से प्रेरति हो तथाकथति व्यकृति को दंडति करती है, भले ही यह अवैध हो औख्स तरह कानूनी नयिमाँ और प्रक्रयािओं की अनदेखी करते हुए कानून को अपने हाथ में लेती है ।

गौ रक्षा: गौ रक्षा के नाम पर लचिगि राष्ट्र के धर्मनरिपेक्ष ताने-बाने के लयि एक गंभीर खतरा है । सरिफ गौमांस के संदेह में लोगों की हत्या गौ रक्षकों की असहषिणुता को दर्शाती है ।

माँब लचिगि का कारण:

- **पूर्वाग्रह:**
 - माँब लचिगि एक घृणति अपराध है जो वभिन्नि जातयािँ, वर्गों और धर्मों के बीच पक्षपात या पूर्वाग्रहों के कारण बढ़ रहा है ।
- **गौ रक्षा को लेकर सतरकृता:**
 - हद्वि धर्म में गायों को पूजनीय मानने के साथ ही उनकी पूजा की जाती है । यह कभी-कभी गौ-रक्षा के प्रति सतरकृता को बढ़ावा देता है ।
 - अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों की यह धारणा है कि अल्पसंख्यक गाय के मांस का नयिमति सेवन करते हैं ।
- **त्वरति न्याय का अभाव:**
 - लोग क्यौं कानून को अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें परणामों का डर नहीं होता, इसका प्राथमकि कारण यह है कि न्याय प्रदान करने वाले अधिकारी अक्षम हैं ।
- **पुलसि प्रशासन की अक्षमता:**
 - इसका कारण है अप्रभावी जाँच और कानूनी प्रक्रयाि में वशिवास की कमी जो लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने हेतु प्रोत्साहति करती है ।

माँब लचिगि से जुड़े मुद्दे:

- माँब लचिगि मानव गरमिा का उल्लंघन है, यह संवधिान का [अनुच्छेद 21](#) और [मानवाधिकारों की सार्वभौमकि घोषणा](#) का घोर उल्लंघन है ।
- इस प्रकार की घटना भारतीय संवधिान के [अनुच्छेद 14 और 15](#) का उल्लंघन है, जो समानता की गारंटी देते हैं और भेदभाव को प्रतिबिधति करते हैं ।

- हालाँकि इस प्रकार की घटना को लेकर देश के कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है और इसलिये इसे केवल हत्या के रूप में चिह्नित किया गया है क्योंकि इसे अभी तक [भारतीय दंड संहिता](#) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

सरकार के कदम:

- **नविकरक उपाय:**
 - जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने [2017-18](#) लचिगि और भीड द्वारा की जाने वाली हसिा से नपिटने के लयि कई नविकरक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय नरिधारति कयि थे।
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माँब लचिगि को 'भीडतंत्र का घृणति कारय' बताया था।
- **वशिष फासट ट्रैक कोरट:**
 - माँब लचिगि से जुडे मामलों से वशिष रूप से नपिटने के लयिराज्यों को हर ज़लि में एक वशिष फासट ट्रैक कोरट स्थापति करने का नरिदेश दया गया था।
- **वशिष कारय बल:**
 - न्यायालय ने माँब लचिगि की संभावनाओं को जन्म देने वाले नफरती भाषणों, भडकाऊ बयानों और फरज़ी खबरों को फैलाने वाले लोगों के वशिष में खुफया रिपोर्ट हासलि करने के उद्देश्य से एक वशिष कारय बल के गठन पर भी वचिार कयिा था।
- **पीडति के लयि मुआवज़ा योजनारें:**
 - पीडतियों को राहत और पुनरवास के लयि पीडति मुआवज़ा योजनारें बनाने के भी नरिदेश दयि गए।
 - जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कई राज्यों को नोटसि जारी कर उनहें उपायों को लागू करने की दशिा में उठाए गए कदमों के बारे में सूचति करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दयिा।
 - अब तक केवल तीन राज्यों **मणपुरि, पश्चमि बंगाल और राजस्थान** ने माँब लचिगि के खलिाफ कानून नरिधारति कयि हैं।
 - झारखंड वधिानसभा द्वारा भीड हसिा की रोकथाम एवं माँब लचिगि बलि पारति कयिा गया, जसिे हाल ही में कुछ प्रावधानों पर पुनरवचिार के लयि राज्यपाल द्वारा वापस ले लयिा गया है।

आगे की राह

- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में माँब लचिगि के लयि कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिकि होने के नाते स्वयं पर गर्व करने वाले देश के लयि यल्लारूरी है **कभीड हसिा को खतम कयिा जाए**।
- एक नरिशानक स्थति के रूप में भीड हसिा के मामलों में पुलसि की नषिकरयिता और वैधानिकि दंड के परे पुलसि द्वारा अतरिकित न्यायकि दंड की सार्वजनकि स्वीकृति का प्रायः उलटा असर होता है। अतः इस समाजकि-न्यायकि दुषचक्र को रोकने के लयि कानूनी प्रक्रया के प्रती जनता का वशिवास प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।
- केंद्र और देश के अन्य सभी राज्यों को भी मणपुरि, पश्चमि बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों की तरह इन मामलों से नपिटने हेतु व्यापक कानून लागू करने के लयि तत्पर रहना चाहयि।
- भ्रामक खबरों और अभद्र भाषा के प्रसार को रोकने के लयि भी उपाय कयि जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: [इंडयिन एक्सप्रेस](#)